International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2025; 7(7): 107-110
Received: 27-04-2025
Accepted: 30-05-2025

साबरीन फातिमा
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

डॉ. सपना गहलोत
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
साबरीन फातिमा
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विश्लेषणात्मक अध्ययन

साबरीन फातिमा, सपना गहलोत

सारांश
भारत एक बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण देश है। भारत में मुस्लिम समुदाय देश का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय हैं, जिसमें महिलाओं की स्थिति का चिंतन का विषय रही हैं। भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज होने के कारण मुस्लिम महिलाएँ इस पुरूष प्रधान समाज में कई प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है लेकिन समय के साथ उनमें चेतना और परिवर्तन की प्रवृत्ति भी विकसित हो रही है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान राज्य में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का 2000–2022 तक के कालखंड में विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि बीते दो दशकों में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं।
किन कारकों ने उनकी चेतना को प्रभावित किया हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार द्वारा उनके लिए कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति अन्य क्षेत्रों में अपना मुकाम हांसिल किया है। मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर और जागरूकता के प्रसार से आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय समाज में सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी।

मुख्य शब्द : भारतीय समाज और मुस्लिम महिलाएँ, धार्मिक अधिकार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक चेतना, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आर्थिक निर्भरता

प्रस्तावना
भारत विकासशील राष्ट्र हैं। किसी भी देश के लिए लोकशक्ति का विशेष महत्व रहता है इसमें स्त्री–पुरूष दोनों सम्मिलित हैं क्योंकि ये दोनों समाज के अपरिहार्य अंग हैं। यदि किसी भी देश को विकसित करना है, तो सबसे पहले महिलाओं का विकास करना होगा क्योंकि महिला ही समाज की जननी होती हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की भी मान्यता थी कि किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन उस देश की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। इसी आधार पर भारतीय संविधान में बिना लैंगिक भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गयी हैं।
इस्लाम के उदय पूर्व अरब क्षेत्र में स्त्रियों की अवस्था अत्यन्त हीन थी स्त्री पुरूष की चल सम्पत्ति समझी जाती थी किसी स्त्री के विधवा होने पर वह अन्य पैतृक सम्पत्ति की तरह बेटों में बांट दी जाती थी। नवजात बालिका शिशु को जिन्दा गाढ़ दिया जाता था उसको मार देने की प्रथा प्रचलित थी। नारियों की स्थिति बदतर थी उन्हें केवल भोग विलास की चीज समझा जाता था।
इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ। इसके संस्थापक पैगम्बर मुहम्मद साहब थे। पैगम्बर मुहम्मद साहब ने स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाए इस्लाम में कुरान शरीफ और इस्लामिक कानून शरिया का पालन किया जाता है। इस्लामिक शरिया और कुरान ने मुस्लिम महिलाओं को बहुत से अधिकार दिये हैं जैसे–

- शिक्षा का अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- विवाह सम्पत्ति का अधिकार
- वर चुनने का अधिकार
- मेहर लेने का अधिकार
- तलाक लेने का अधिकार
- व्यापार करने का अधिकार आदि।

इस्लाम के आगमन के बाद अरब महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। उनके अस्तित्व को स्वीकारा। इस्लाम ने औरतों को बहुत इज्जत दी हैं जिससे मुतासिर होकर विश्व के अन्य देशों ने भी इस्लाम अपनाया। भारत में इस्लाम का आगमन लगभग 7वीं शताब्दी से माना जाता है। जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की।

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है जिसके प्रभाव भारतीय मुस्लिम समाज पर भी पड़ा। जिस कारण भारतीय मुस्लिम समाज में भी पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी तत्व देखने को मिलते हैं। पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति के कारण यह मुस्लिम महिलाओं को दबाकर रखते हैं। वह इन्हें घर की चार दिवारी में कैद कर शिक्षा के अधिकार से दूर रखते हैं इन्हें डर है। यें पड़ लिख गई तो इन्हें इनके अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा जिससे पितृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व कमजोर पड़ जाएगा और इन मर्दों को औरतों को इस्लामिक शरिया के बराबर के अधिकार देने पड़ेगें।

भारत में मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दु स्त्रियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई थी। सल्तनत काल में मुस्लिम स्त्रियों ने समाज में विविध रूचि दिखाई विविध कलाओं के विकास में उनका योगदान रहा। राजकीय परिवार की महिलाओं को ऊँची– ऊँची उपाधियाँ दी जाती थीं इस काल में रजिया सुल्तान ने राजनीतिक क्षेत्र में रूचि दिखाई।

मुगलकाल इस काल में स्त्रियों की स्थिति अधिक संतुलित थी। बाबर ने अपनी स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राजकीय परिवारों की मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन गरीब मुस्लिम परिवार की स्त्रियों में कोई सुधार नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता के कारण उनकी शैक्षिणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन कुछ कम हो गया था। उनकी राजनैतिक स्थिति ज्यों कि त्यों थी परन्तु सामाजिक और आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया।

73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 110वें व 112वें संशोधन द्वारा पंचायती राज एवं नगरीय निकाय 50 प्रतिशत कर दिया। पंचायत राज एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण होने पर मुस्लिम महिलायें पंचायत चुनाव में सक्रीय भागीदारी निभा रही हैं। परन्तु नगरीय निकाय, लोकसभा, राज्यसभा के चुनावों में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं का लोकसभा, राज्यसभा में सदस्यता का प्रतिशत बहुत कम हैं।

मुस्लिम महिलाओं में निम्न साक्षरता दर तथा उनमें राजनीतिक जागरूकता के स्तर की कमी भी राजनीति में उनके निम्न प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण हैं शैक्षिणिक पिछड़ेपन से ग्रस्त महिलाऐं अपने अधिकारों एवं अवसरों के प्रति जागरूकर नहीं होती है जिसके कारण वे जाति एवं सम्प्रदाय आधारित संगठनों के समान ऐसी महिला संगठनों के निर्माण से दूर रहती हैं जो राजनीतिक दलों पर मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने का दबाव डाल सके।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी के साथ–साथ उनके नीति निर्णय, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, नीति प्रक्रिया में भाग लेने की दशा तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का कितना लाभ ले रही हैं तथा उनकी सामाजिक चेतना एवं राजनीतिक स्थिति में कौन–कौन से कारक बाधक हैं, इन सभी पक्षों को इस शोध के माध्यम से बताने का प्रयास किया है।

साहित्य का पुनरावलोकन

महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में दुनिया के विधिशास्त्रियों, दार्शनिकों और विचारकों ने विभिन्न रूपों में अपने विचार व्यक्त किए हैं जिनमें से कुछ मुख्य ग्रंथ और लेख उल्लेखनीय हैं।

नसीम अहमद (2003) 'वूमन इन इस्लाम' इस पुस्तक में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति को इस्लाम धर्म के परिप्रेक्ष्य में वर्णित करते हुए मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त विभिन्न अधिकारों को संक्षिप्त रूप में विवेचित किया गया है।

अर्चना चतुर्वेदी (2003) 'इन साइक्लोपिडिया ऑफ मुस्लिम वूमेन' पुस्तक में बताया गया है कि मुस्लिम महिलाएँ बड़े पैमाने पर पिछड़ी और वंचित रही है। अनेक ऐसे बहुआयामी कारक है जो मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति को प्रभावित करते हैं।

हुसैन सलीमी व अन्य (2003) 'इस्लामिक व्यूज ऑन ह्यूमन राइट्स' यह पुस्तक मानवाधिकारों के विविध इस्लामिक पक्षों पर प्रकाश डालती हुई सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत पुस्तक में इस्लाम में मानवाधिकारों के ईरानी शोधार्थियों के दृष्टिकोणों को दर्शाया गया है।

जोया हसन (2004) 'मुस्लिम समाज में महिलाओं की बदहाली का कारण धार्मिक नहीं आर्थिक' हंस दिल्ली, अगस्त 2004 इस लेख में लेखिका ने मुस्लिम महिलाओं की पिछड़ी स्थिति का वर्णन आर्थिक संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए किया है। लेखिका ने मुस्लिम महिलाओं की पिछड़ी व दयनीय स्थिति का विशद् विवेचन करते हुए एक अत्यन्त ज्वलंत व गम्भीर मुद्दे को उठाया है।

आशा कौशिक (2004) 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ' इस पुस्तक में महिला राजनीतिक स्तर आन्दोलन में एवं सशक्तिकरण के विविधता का वर्णन किया है। लेखिका के अनुसार भारतीय समाज में सिद्धांत रूप में नारी को शक्ति रूपा माना जाता है।

इन्द्राणी सेन गुप्ता (2005) 'ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनोरटी एण्ड वूमेन्स' द्वारा सम्पादित पुस्तक जो कि 4 खण्डों में लिखी गई है, में अल्पसंख्यकों व महिलाओं के मानवाधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मानवाधिकार प्रत्येक से सम्बन्धित है परन्तु फिर भी महिलाओं के विरूद्ध घरों में कार्यस्थल में, समुदायों तथा नागरिक संस्थाओं में दिन प्रतिदिन लैंगिक आधार पर इसका भयानक उल्लंघन होता रहता है।

जाकिर नाइक (2010) 'इस्लाम में औरत के अधिकार' मुस्लिम महिलाओं के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को वर्णित करती यह पुस्तक रेखांकित करती है कि इस्लाम में 1400 साल पहले ही औरतों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिये गये थे जबकि उस समय उनको मानव तुल्य समझा ही नहीं जाता था। लेखक ने बिन्दुवार कुरआन में वर्णित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का वर्णन किया हैं।

निर्मला सिंह, राहिल अहमद (2012) 'मुस्लिम वुमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स' वैश्विक स्तर से लेकर भारत के इस्लामी समाज में मुस्लिम महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति को वर्णित करता यह आलेख लेखकों की मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति के प्रति गहरी पकड़ को इंगित करता है। लेखकों ने मुस्लिम महिलाओं की दयनीय स्थिति को प्रतिबिम्बत करते हुए यह विचारणीय प्रश्न रखा है।

सना जैदी (2017) 'मुस्लिम महिलाओं ने भरी हुंकार 2017 में इन बंदिशों से मिली आजादी' प्रस्तुत लेख में लेखिका मुस्लिम महिलाओं की आजादी को वर्णित किया है महिलाओं को कोई अधिकार इस्लाम परस्त सरकार द्वारा मिला तो कुछ अधिकार कोर्ट और कानून की लम्बी लड़ाई के बाद देश दुनियाँ में मुस्लिम महिलाओं पाबंदियों से निजात मिली। उपर्युक्त साहित्य के

अध्ययन एवं समीक्षा के पश्चात् दृष्टिगत होता है कि इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था एवं मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति से संदर्भित विभिन्न अध्ययन एवं शोध कार्य सम्पन्न हुए है जिनके द्वारा मुस्लिम महिलाओं के तलाक, विवाह मानवाधिकार आदि मुद्दों को रेखांकित किया गया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत विषय सम्भवतः मुस्लिम महिलाओं की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर सम्पादित प्रथम एवं मौलिक प्रयास है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर का मूल्यांकन करना है। इसके निम्न उद्देश्य है–

1. मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक चेतना और राजनीतिक स्तर का अध्ययन करना।
3. मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक व शैक्षिणिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. मुस्लिम महिलाओं द्वारा संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक और वर्णनात्मक दोनों पद्धतियों पर आधारित है। अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों का इस्तेमाल किया गया हैं। अनुसंधान में मुख्यरूप से वैज्ञानिक और सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग किया गया। प्राथमिक स्रोत में साक्षात्कार प्रश्नावली और केस स्टडीज शामिल हैं, जबकि द्वितीयक स्रोतों में सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आँकड़े, शोध–पत्र, किताबें और समाचार पत्रों का सहारा लिया गया हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा और भरतपुर में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभवों को संकलित किया गया। इसमें प्रतिनिधि नमूना पद्धति के माध्यम से विभिन्न आयुवर्ग, शिक्षा स्तर एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की कुल 100 मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की गई।

अध्ययन की प्राकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध का अध्ययन करने पर शोधार्थी द्वारा अपनी अनुसंधान समस्या से संबंधित निम्न प्राकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर राजनैतिक चेतना का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. मुस्लिम महिलाएँ राजनीति के प्रवेश को जटिल मानती हैं।
3. मुस्लिम महिलाएँ वोट बैंक के रूप में स्वयं के उपयोग से दुःखी है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर भ्रमित हैं।
4. मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
5. मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

परिणाम/मुख्य अध्ययन

शोध अध्ययन में राजस्थान की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना में आए परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों को समाहित करता है।

1. शैक्षिक स्थिति में परिवर्तनः 2000 के आस–पास राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम लगभग 28–30 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा चलाए कार्यक्रम जैसे– 'सब पड़े सब बढ़े', 'मदरसों का आधुनिकीकरण' एवं 'अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 2022 तक यह दर 45–50 प्रतिशत तक पहुंच गई।

परिणामस्वरूप

- स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई।
- उच्च शिक्षा में भागीदारी धीरे–धीरे बढ़ी
- शिक्षित महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागरूकता का स्तर ऊपर गया।

2. सामाजिक चेतना का विकासः पिछले दो दशकों में मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक निर्णय और कार्यक्षेत्र जैसे विषयों पर अधिक सक्रियता दिखाई हैं।
स्वास्थ्य मिशन, महिला मंडल एवं एन.जी.ओ.– कार्यकर्ताओं के प्रयासों से महिलाओं ने–

- स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करना शुरू किया।
- बाल विवाह, तलाक और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की।
- स्वयं सहायता समूहों में भाग लेना आरम्भ किया।

फिर भी पर्दा प्रथा, सामाजिक निषेध एवं पुरूष प्रधान मानसिकता जैसे तत्व अब भी एक बड़ी बाधा है।

3. राजनीतिक चेतना एवं भागीदारीः 2000–2022 के बीच पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के कारण मुस्लिम महिलाएँ भी राजनीति में आई।
हालांकि इनकी चेतना सीमित रही, परन्तु राजनीतिक चेतना में वृद्धि के कुछ संकेत मिले–

- महिलाएँ वोट देने के प्रति अधिक जागरूक हुई।
- राजनीतिक दलों में महिला शाखाओं के माध्यम से संवाद बना।

किन्तु

1. कई मामलों में केवल नाममात्र की भागीदारी रही जैसे– प्रोक्सी प्रतिनिधित्व।
2. घरेलू पुरूष सदस्य ही निर्णय लेते रहे।
3. धार्मिक व सामाजिक दबाव के चलते कई महिलाएँ खुलकर अपनी बात नहीं रख पाई।

5. धार्मिक चेतना बनाम आधुनिकताः अनेक मुस्लिम महिलाएँ आज भी धार्मिक नियमों एवं संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध है लेकिन अब इनमें यह समझ विकसित हो रही हैं कि धार्मिकता और आधुनिक जीवनशैली एक–दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

- मोबाइल फोन, सोशल मिडिया, ऑनलाईन शिक्षा से विचारों का विस्तार हुआ है।
- अनेक महिलाएँ धार्मिक अधिकारों के प्रति सजग हो रही है।
- परन्तु कुछ रूढ़िवादी वर्ग अब भी परिवर्तन का विरोध करते हैं।

6. वास्तविक चुनौतियाँ जिनका सामना मुस्लिम महिला कर रही हैं–

- आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव हैं।
- अशिक्षा और जानकारी की कमी हैं।
- धार्मिक शिक्षा की जानकारी न होने के कारण धार्मिक कट्टरता का भय हैं।
- राजनैतिक दलों की असंवेदनशीलता हैं।
- मुस्लिम महिला विषयक योजनाओं की उचित पहुँच का अभाव हैं।

निष्कर्ष

इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान की मुस्लिम महिलाएँ 2000–2022 के बीच सामाजिक और राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में धीरे–धीरे आगे बढ़ी है, किन्तु यह विकास अभी भी पर्याप्त नहीं हैं।

जहाँ एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक जागरूकता एवं पंचायत प्रतिनिधित्व में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं, वहीं दूसरी ओर परम्परागत रूढ़ियाँ, धार्मिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता और पुरूष प्रधान मानसिकता अब भी उनके सशक्तिकरण में बढ़ी बाधा हैं।

राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बावजूद मुस्लिम महिलाएँ अधिकतर केवल प्रतिकात्मक भूमिका निभा रही हैं। बहुत से महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिजन ही निर्णय लेते हैं जिससे उनकी वास्तविक चेतना और भागीदारी सीमित रह जाती हैं।

यह भी देखा गया है जहाँ शिक्षा और डिजिटल माध्यमों तक पहुँच रही हैं, वहाँ परिवर्तन की गति तेज हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अब भी चिंताजनक हैं।

सुझाव

- मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और डिजिटल लर्निंग कार्यक्रमों को सशक्त किया जाए।
- मुस्लिम महिलाओं के लिए राजस्थान प्रशिक्षण शिविर पंचायत, नगर निकाय एवं स्थानीय निकायों में सहभागिता हेतु लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू की जाए।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मुस्लिम महिलाओं को हुनर आधारित प्रशिक्षण और लघु ऋण सुविधाएँ दी जाऐं।
- सामाजिक जागरूकता अभियान के माध्यम से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम चलाए जाऐं।
- धर्मगुरूओं की भागीदारी से इस्लामी शिक्षाओं के प्रगतिशील पक्षों पर जोर देने हेतु सकारात्मक धर्मगुरूओं को साथ लिया जाए।
- सरकारी योजनाओं की पहुँच में सुधार कर केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाएँ जैसे– "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" व "बेटी बचाओं– बेटी पढ़ाओं" का लाभ मुस्लिम महिलाओं तक विशेष रूप से पहुँचाया जाए।

अंततः मुस्लिम महिलाओं में चेतना की चिंगारी प्रज्ज्वलित हो चुकी हैं, आवश्यकता है उसे नीति, शिक्षा और समर्थन के ईंधन से जलाकर पूर्ण सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने की।

संदर्भ सूची

1. के.पी. सिंह, महिला सशक्तिकरण के वास्ते, जनसत्ता, दिल्ली संस्करण, 8 मार्च, 2013, पृ. 6
2. गौरी सेन, लोकसभा में महिला, प्रतिनिधित्व राष्ट्र महिला, नई दिल्ली अंक 9 अगस्त 1999, पृ. 1
3. एस. गीथा, वूमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इण्डिया पार्लियामेंट एण्ड लेजिस्लेचर, इंसाफ बुलेटिन, इंसाफ नेट, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. उमर फारूकी, महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका, कुरूक्षेत्र 2010, अंक 12 अक्टूबर, 2010, पृ. 33'36
5. नसीम अहमद, वूमन इन इस्लाम, ए.पी.एच. पब्लिकेशन्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली, 2003
6. अर्चना चतुर्वेदी, इन साइक्लोपिडिया ऑफ मुस्लिम वूमेन, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003
7. हुसैन सलीमी व अन्य, इस्लामिक व्यूज ऑन ह्यूमन राइट्स' कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2003
8. जोया हसन, मुस्लिम समाज में महिलाओं की बदहाली का कारण धार्मिक नहीं आर्थिक, हंस दिल्ली, अगस्त, 2003
9. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
10. इन्द्राणी सेन गुप्ता, ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एण्ड वेमेंस, ईशा बुक्स, दिल्ली, 2005
11. जाकिर नाइक, इस्लाम में औरत के अधिकार, अल हसनात बुक्स प्रा.लि., दरियागंज, नई दिल्ली, 2010
12. निर्मला सिंह, राहिल अहमद, मुस्लिम वुमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स, द इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स वॉक्यूल LXX III-I जनवरी मार्च 2012, पृ. 73–84
13. सना जैदी, मुस्लिम महिलाओं ने भरी हुकार 2017 में इन बंदिशों से मिली आजादी, नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2017.